निर्णय बइजलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

GCMS No - 2024/144

प्रकरण संख्या 36/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ए.यू. स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर ....प्रार्थी

1. श्री भगवान सामरिया पुत्र श्री रामसहाय निवासी 747, टंकी के पास खिरनी जिला सवाई माधोपुर।
2. श्रीमती हेमा देवी पत्नी श्री भगवान सामरिया निवासी खटीक मोहल्ला पानी की टंकी के पास खिरनी।
3. श्री गिर्राज मीना पुत्र सुवालाल मीना निवासी मेढपुरा खिरनी।

..........अप्रार्थी / ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.02.2020 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री भगवान सामरिया पुत्र श्री रामसहाय निवासी 747,. टंकी के पास खिरनी जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति 747 पानी की टंकी के पास ग्राम खिरनी जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में श्री हनुमान मीना पुत्र श्री रामफूल मीना, पश्चिम में श्री मनोज कुमार उर्फ सुरेश पुत्र श्री केशर लाल सामरिया, उत्तर में गली (पीछे जाने का रास्ता–हरिराम के मकान का रास्ता) व दक्षिण में आम रास्ता है, जिसका क्षेत्रफल 1082.87 वर्ग फीट है, को बंधक रखकर 4,00,000 (चार लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.06.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 12.06.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति 747 पानी की टंकी के पास ग्राम खिरनी जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में श्री हनुमान मीना पुत्र श्री रामफूल मीना, पश्चिम में श्री मनोज कुमार उर्फ सुरेश पुत्र श्री केशर लाल सामरिया, उत्तर में गली (पीछे जाने का रास्ता–हरिराम के मकान का रास्ता) व दक्षिण में आम रास्ता है, जिसका क्षेत्रफल 1082.87 वर्ग फीट है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
5. आदेश आज दिनांक 13-11-2024 को सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 17:59:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner